भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1494

09.02.2026 को उत्तर के लिए

तमिलनाडु में सिगुर हाथी गलियारे के अंदर निर्माण

1494. श्री माथेश्वरन वी. एस.:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या तमिलनाडु के नीलगिरि जिले में सिगुर हाथी गलियारे के अंदर 39 रिसॉर्ट और 390 आवासों सहित 800 से अधिक निर्माण कार्य किए गए थे;

(ख) सितम्बर, 2025 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा सिगुर पठार हाथी गलियारा जांच समिति के नतीजों के बावजूद सरकार द्वारा अतिक्रमण करने वालों को बेदखल न किए जाने के क्या कारण हैं और उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) नीलगिरी जिले में वर्ष 2014 से अब तक हाथियों द्वारा मारे गए लोगों की संख्या कितनी है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) तमिलनाडु राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, हाथी गलियारे क्षेत्र में किए गए निर्माण कार्यवाही योजना संबंधी विस्तृत रिपोर्ट जिला कलेक्टर, नीलगिरि द्वारा भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका संख्या 1996 की 897 के संदर्भ में प्रस्तुत की दी गई है।

जिला कलेक्टर की कार्यवाही योजना रिपोर्ट के आधार पर भवनों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं	निर्माण का प्रकार	निर्माणों की कुल संख्या
1	रिसॉर्ट परिसर (रेस्टोरेंट सहित) तथा रिसॉर्ट के भीतर स्थित कुल भवनों की संख्या	309**
2	मकान	390
3	अन्य सामान्य भवन	27
4	एस्टेट / प्लांटेशन की संख्या	09
5	कृषि योग्य भू-क्षेत्रों की संख्या	77
6	अन्य निर्माण	09
	कुल	821

**यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त गलियारे में रिसॉर्ट्स की वास्तविक संख्या 39 है। तथापि, इन रिसॉर्टों में मल्टीपल भवन हैं, जिसके कारण व्यक्तिगत भवनों की कुल संख्या 309 हो जाती है।

(ख) तमिलनाडु राज्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार, माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, दिनांक 09.08.2018 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 1996 की 897, के तहत गलियारा क्षेत्र में स्थित 38 रिसॉर्टों को जिला प्रशासन द्वारा बंद एवं सील कर दिया गया था।

इसके अतिरिक्त, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.09.2025 की रिट याचिका संख्या 2023 की 26182 में पारित निर्णय के अनुसार, छह माह के भीतर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया है तथा इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा सर्वेक्षण जैसे प्रारंभिक कार्य किए जा रहे हैं।

उक्त आदेश को चुनौती देते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय में कई विशेष अनुमति याचिकाएँ (एसएलपी - सिविल) दायर की गई हैं। उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर की गई विभिन्न एसएलपी (सी) निम्नलिखित हैं:

i. मुख्य एसएलपी (सी) संख्या 2025 का 32019
ii. एसएलपी (सी) संख्या 36421/2025
iii. एसएलपी (सी) संख्या 716-717/2026
iv. एसएलपी (सी) डायरी संख्या 61702/2025
v. एसएलपी (सी) डायरी संख्या 58875/2025
vi. एसएलपी (सी) डायरी संख्या 60495/2025
vii. एसएलपी (सी) डायरी संख्या 61046/2025
viii. एसएलपी (सी) डायरी संख्या 231/2025

इसके अतिरिक्त, दिनांक 08.12.2025 के मुख्य एसएलपी (सी) संख्या 2025 की 32019 के दैनिक आदेश के माध्यम से, यह निर्देश दिया गया है कि संबंधित एसएलपी को वन पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, अर्थात् डब्ल्यूपी (सी) संख्या 1995 की 202 [टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ] के साथ।

साथ ही, रिसॉर्ट्स से संबंधित तीन प्रकरण (2021 का 108-109 एवं 2025 का 01) ऐसे हैं, जिनकी जांच अभी तक माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हाथी गलियारे के मामले के संबंध में नियुक्त जांच समिति द्वारा की जानी है (सी.ए. संख्या 3438/3439-2020, जो एसएलपी संख्या 17319-17314/2011 से उत्पन्न हुए हैं)। अतः यह मामला न्यायाधीन है।

(ग) तमिलनाडु राज्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2014 से अब तक, नीलगिरि ज़िले में मानव-हाथी संघर्ष के कारण कुल 112 मानव मृत्यु की घटनाएँ हुई हैं।

*****